

पटना नगर निगम

پٹنہ میونسپل کارپوریشن

PATNA MUNICIPAL CORPORATION



CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 00610

Date / दिनांक: 13/01/2022

संयिका सं०- P/JAGANPURA-PCN-B+G+8/84/2017 के पुनरीक्षण
LB+UB+G+4 (Mall Multiplex)

सेवा में,

श्री गजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य,
पिता- स्व० विमल प्रसाद,
निलगित कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०,
पता- हरिओम कमर्सियल कम्पलेक्स, न्यू डाकबंगला रोड,
पटना, बिहार।

विषय :- स्वीकृत नक्शा प्लॉन केस सं०-P/JAGANPURA-PCN-B+G+8/84/2017 के पुनरीक्षण के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन के संदर्भ में पूर्व से स्वीकृत प्लान केस संख्या- P/JAGANPURA-PCN-B+G+8/84/2017 पर चल रहे निगरानी वाद सं०-24B/2019 में दिनांक-08.09.2021 को नगर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नक्शे की पुनरीक्षण की कार्यवाई की गई तथा पुनरीक्षित LB+UB+G+4 (Mall Multiplex) की स्वीकृति प्रदान की गई है।

निर्माता-श्री गजेन्द्र प्रसाद एवं अन्य, पिता- स्व० विमल प्रसाद, निलगित कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, पता- हरिओम कमर्सियल कम्पलेक्स, न्यू डाकबंगला रोड, पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के पुनरीखत नक्शे के आधार पर निर्मित होने वाले भवन से संबंधित विवरणी इस प्रकार है..... सर्व प्लॉट सं०-1197 (P), 1201 (P) एवं 1202 (P) खाता सं०-65 एवं 130, थाना सं०-26, तौजी सं०-131, मौजा- जगनपुरा, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 7676.50 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 60.96 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 102.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) भवन उपविधि के कडिका-09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/ बिल्डर की होगी।
Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to three years from the date such a permission is granted.
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ़) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कंडिका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ण) नक्शा स्वीकृति के पश्चात् एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण कार्य के समय निर्माण स्थल को ढंक कर रखेंगे तथा निर्माण सामग्री सड़क अथवा सार्वजनिक स्थल पर नहीं रखेंगे।
- (त) पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आलोक में भू-खण्ड के दक्षिण-पूरब कोण पर अतिरिक्त भू-खण्ड छोड़कर 6.00मी० चौड़ाई में एक Entry/Exit गेट का निर्माण किया जाना है।
- (थ) निगरानी वाद संख्या-24B/2019 में नगर आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया जाना है, जो निम्नवत् है:-
- (i) प्रतिवादी अपने स्वामित्व में क्रय दस्तावेज में अंकित भूमि से अधिक रकबा (102.00 वर्गमी०) को छोड़ते हुए चहारदीवारी स्थापित करना आवश्यक है।
- (द) आवेदक के द्वारा मुख्य सड़क से अपने भू-खण्ड तक पहुँच हेतु खुला नाला पर 6.00मी० उत्तर-पूरब कोण पर पुल का निर्माण अपने खर्च से करना होगा ताकि खुला नाला का साफ-सफाई किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो।

विश्वासभाजन,

 13/01/2022
निदेशक,

शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।